कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID – cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

क्र॰/ ....38...... /न॰पा॰नि॰/2019 भिलाई–चरौदा, दिनाँक – ...16.. /..07.. /2019

-::: रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. :::-

नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के 40 वार्डो में पाये जाने वाले आवारा कुत्ता को पकडकर बधियाकरण का कार्य करने हेतु इच्छुक व्यक्ति /फर्म/एजेंसी/संस्था से सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 31.07.2019 को सांय 5.00 बजे तक रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. आमंत्रित की जाती है । जो कि दिनांक 01.08.2019 को खोले जावेगें।

पात्रता :–

1- आयकर व जी.एस.टी. में पंजीकृत व्यक्ति/फर्म ।
2- नगरीय निकायों में समान प्रकृति के कार्य का अनुभव।
3- पशु चिकित्सक, मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक से कम न हो।

रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. का निर्धारित प्रपत्र व नियम शर्ते दिनांक 31/07/2019 के सायं 5.00 बजे तक राशि रू. 1000.00 रूपये (एक हजार रूपये मात्र) जमा कर प्राप्त कर सकते है अथवा निकाय के Website http://nagarnigambhilaicharoda.com/ से Download कर सकते है । Download किये जाने की स्थिति में रूची की अभिव्यक्ति सह आर. एफ.पी. के साथ राशि 1000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा । रूची की अभिव्यक्ति सह आर.एफ.पी. के साथ अमानत राशि रू 10000.00 का **F.D.R.** आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा के पक्ष में देय होगा, प्रस्तुत करना होगा । विस्तृत नियम, शर्ते व अन्य जानकारियों कार्यालय के लोक निर्माण शाखा से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है ।

शर्ते :–

1. निविदा वित्तीय वर्ष 2019–2020 तक के लिये माना होगा।
2. आवश्यकतानुसार कार्यावधि में 25 वृद्धि की जा सकती है। उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तो में कार्य करने हेतु प्रथम पक्षकार बाध्य होगा।
3. पर्याप्त संख्या में अनुभवीय श्रमिक रखना होगा।
4. कुतता पकडने हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री प्रथम पक्षकार की स्वंय की होगी।
5. कुत्तों को पकड़ कर टीकाकरण एवं बधियाकरण पशु चिकित्सक से ही करना होगा।
6. प्रत्येक कुत्तों को एंटी बायोटिक, पेनकिलर एण्टी, पैरासायटिक एवं अन्य आवश्यकतानुसार इंजेक्शन, दवाई, मरहमपट्टी करना होगा।
7. जिस वार्ड क्षेत्र में यह अभियान चलाया जायेगा, उसके कार्य का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के सफाई दरोगा एवं वार्ड पार्षद से कराया जाना आवश्यक होगा।
8. कुत्ता पकडने के दौरान किसी भी प्रकार की घटना/ दुर्घटना होने पर संपूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्षकार की होगी।

9. कुत्तो के बधियाकरण,टीकाकरण के पश्चात् देखरेख एवं दोनो प्रहर भोजन की व्यवस्था प्रथम पक्षकार को करना होगा।
10. आपरेशन पश्चात् कुत्तो को चिन्हांकित किये जाने हेतु उनके कान पर आकार का चिन्ह बनाना होगा।
11. श्रम नियमों का पालन करना होगा।
12. कुत्ते जिस वार्ड अथवा स्थान से पकडा गया है,टीकाकरण एवं बधियाकरण के पश्चात् उसी स्थान पर पुनः छोडा जायेगा।
13. वार्ड से आवारा कुत्ता को पकड़ कर लाने ले जाने के लिए वाटन, चालक, श्रमिक स्वंय का होगा । इस पर निकाय को पृथक से कोई व्यय स्वीकार नहीं होगा।
14. आवारा कुत्ते का बधियाकरण पश्चात् सुरक्षित विश्राम के लिए लोहे की जाली दार केज की व्यवस्था करना होगा। इस पर पृथक से व्यय स्वीकार नहीं होगा।
15. वेटनरी डॉक्टर का मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा का निर्णय अंतिम व बांधनकारी होगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति ग्राहय नहीं होगा।
17. सशर्त रूचि की अभिव्यक्ति सह आर०एफ०पी० स्वीकार नहीं होगी।

एजेंसी का हस्ताक्षर एवं सील

नाम ....

पता ....

Executive Engineer
Municipal Corporation

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरौदा